संख्या– 1124 /सैंतीस–2–2022

प्रेषक,

डा0 रंजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त,
जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–निदेशक, प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3–निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 24 जून, 2022

विषयः–संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम दिनांक 01–31 जुलाई, 2022 तक एवं दस्तक अभियान 16–31 जुलाई, 2022 के अधीन पशुधन योजनाओं के सफल संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन पशुधन योजनाओं के शासनादेश संख्या–849/पांच–5–2022 दिनांक 10 जून, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संदर्भित शासनादेश के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संचारी रोग नियंत्रण दिनांक 01 से 31 जुलाई, 2022 तक एवं दस्तक अभियान दिनांक 16 से 31 जुलाई, 2022 तक चलाया जायेगा। प्रत्येक वर्ष अगस्त एवं सितम्बर माह में प्रदेश के अनेक जनपदों में इंसेफ्लाइटिस, लेप्टो स्पायिरोसिस आदि पशु जनित रोग संसूचित हो जाते हैं। इन पशु जनित संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं बचाव हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैः–

(1) यथासम्भव सूकर बाड़ो को रिहायशी आबादी से दूर पुनर्वासित कराया जाय तथा सूकर पालन स्थलों पर वेक्टर नियन्त्रण एवं सीरो सर्विलियेन्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। नगर निकायों द्वारा ग्राम पंचायतों के समन्वय से नगर निगमों के क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में सूकरों के बाड़ो को स्थापित किया जाये।

(2) सूकर पालकों को सूकर बाड़ो की साफ–सफाई, कीटनाशक छिड़काव एवं मच्छर रोधी जाली से ढकने हेतु प्रशिक्षित किया जाये।

(3) सभी प्रकार के पशु बाड़ों की स्वच्छता, कचरा निस्तारण तथा मच्छर रोधी जाली के प्रयोग हेतु पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाये।

(4) गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मण्डल के समस्त जनपदों से जे.ई. परीक्षण हेतु सूकर सीरम सैम्पिल प्रति माह परीक्षण हेतु **CAD RAD** (इज्जतनगर) बरेली भेजे जाय। परीक्षणोपरान्त पॉजिटिव पाये गये सीरम सैम्पिल के सूकर पालकों की सूची बनाकर प्रभावित सूकर पालकों के परिवारों का टीकाकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए उनके आस–पास कीटाणुनाशक छिड़काव/फागिंग आदि का कार्य कराया जाये।

(5) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर निकायों एवं पंचायतों से समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाया जाये।

(6) जागरूकता हेतु आई.ई.सी. एक्टिविटी पर जोर दिया जाये। तहसील दिवस, पशु अस्पतालों, पशु आरोग्य मेलों, शासकीय सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं प्रदर्शिनियों, कृषि गोष्ठियों आदि में पोस्टर बैनर लगाये जाय एवं हैन्डबिल बांटे जाये।

(7) कोविड–19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत समस्त कार्यों के सम्पादन के समय सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध यथा सोशल डिस्टेंसिंग, फेसमास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग अवश्य किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम दिनांक 01 से 31 जुलाई, 2022 तक एवं दस्तक अभियान दिनांक 16 से 31 जुलाई, 2022 तक चलाये जाने वाले अभियान की कार्य योजना (माइकोप्लान) बनाकर यथावश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। अतः इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1124(1)/सैतीस–2–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ)।
3– समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ)।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।